

भारत सरकार  
नागर विमानन मंत्रालय  
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या: 1862

गुरुवार, 31 जुलाई, 2025/9 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उपभोक्ता विकास शुल्क के प्रभार

1862. श्री माथेश्वरन वी. एस. :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 11.06.2025 तक मैंगलोर हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों से जीएसटी सहित उपभोक्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) की राशि कितनी ली गई है;

(ख) दिनांक 11.06.2025 तक मैंगलोर हवाई अड्डे पर उतरने वाले यात्रियों से जीएसटी सहित कितनी यूडीएफ राशि ली गई है; और

(ग) हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) द्वारा सभी हवाई अड्डों के लिए जीएसटी सहित या जीएसटी रहित कितनी यूडीएफ राशि तय की गई है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत एक स्वतंत्र आर्थिक विनियामक अर्थात् भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की स्थापना की है। ऐरा सभी प्रमुख हवाईअड्डों के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ वैमानिकी परिसंपत्तियों के लिए निवेश पर प्रतिलाभ, परिचालन व्यय, मूल्यहास, कर आदि जैसे कारकों पर विचार करके प्रयोक्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) सहित वैमानिकी शुल्क निर्धारित करता है।

ऐरा द्वारा मैंगलोर हवाईअड्डे के लिए 5 वर्ष की नियंत्रण अवधि (01.04.2021 - 31.03.2026) के लिए प्रयोक्ता विकास शुल्क निर्धारित किया गया है। मैंगलोर हवाईअड्डे के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रयोक्ता विकास शुल्क निम्नानुसार है:

(i) विमान में चढ़ने वाले घरेलू यात्री: 735 रुपये

(ii) विमान से उतरने वाले घरेलू यात्री: 315 रुपये

उपर्युक्त प्रयोक्ता विकास शुल्क में जीएसटी प्रभार शामिल नहीं है। उपर्युक्त प्रभारों पर सामान्यतः वित्त मंत्रालय/जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित प्रचलित दरों के अनुसार जीएसटी लागू होता है।

(ग) : वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सभी प्रमुख हवाईअड्डों के लिए ऐरा द्वारा निर्धारित जीएसटी रहित प्रयोक्ता विकास शुल्क की राशि अनुलग्नक में दी गई है।



लोक सभा के दिनांक 31.07.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1862 के उत्तर में संदर्भित  
विवरण

सभी प्रमुख हवाईअड्डों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ऐरा द्वारा निर्धारित जीएसटी के  
बिना प्रयोक्ता विकास शुल्क की राशि

(रुपये प्रति यात्री)

क्रमांक	हवाईअड्डों का नाम	यात्री का प्रकार	वित्त वर्ष 2025-26		
			घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	
				इकानमी	बिजनेस
1	दिल्ली	जहाज में चढ़ने वाले	129	650	810
		जहाज से उतरने वाले	56	275	345
2	मुंबई	जहाज में चढ़ने वाले	175	615	695
		जहाज से उतरने वाले	75	260	304
3	बेंगलुरु	जहाज में चढ़ने वाले	550	1500	
4	हैदराबाद	जहाज में चढ़ने वाले	750	1500	
5	अहमदाबाद	जहाज में चढ़ने वाले	600	1190	
6	अमृतसर	जहाज में चढ़ने वाले	381	992	
7	भुवनेश्वर	जहाज में चढ़ने वाले	850	860	
8	कालीकट	जहाज में चढ़ने वाले	440	740	
9	चंडीगढ़	जहाज में चढ़ने वाले	725	1550	
10	चेन्नई	जहाज में चढ़ने वाले	455	690	
11	कोचीन	जहाज में चढ़ने वाले	270	570	
12	कोयंबटूर	जहाज में चढ़ने वाले	550	710	
13	गोवा-डाबोलिम	जहाज में चढ़ने वाले	570	900	
14	गुवाहाटी	जहाज में चढ़ने वाले	625	980	
		जहाज से उतरने वाले	265	420	
15	इंदौर	जहाज में चढ़ने वाले	650	700	
16	जयपुर	जहाज में चढ़ने वाले	875	1260	
		जहाज से उतरने वाले	375	540	
17	कन्नूर	जहाज में चढ़ने वाले	850	1798	
18	कोलकाता	जहाज में चढ़ने वाले	644	1547	
19	लखनऊ	जहाज में चढ़ने वाले	950	1480	
20	मंगलौर	जहाज में चढ़ने वाले	735	1120	
		जहाज से उतरने वाले	315	480	
21	मोपा-गोवा	जहाज में चढ़ने वाले	840	1200	
		जहाज से उतरने वाले	360	500	
22	पटना	जहाज में चढ़ने वाले	865	-	
23	पुणे	जहाज में चढ़ने वाले	387	745	
24	रायपुर	जहाज में चढ़ने वाले	500	-	
25	शिरडी	जहाज में चढ़ने वाले	650	-	

		जहाज से उतरने वाले	280	
26	श्रीनगर	जहाज में चढ़ने वाले	1050	1100
27	तिरुवनंतपुरम	जहाज में चढ़ने वाले	840	1680
		जहाज से उतरने वाले	360	720
28	तिरुचिरापल्ली	जहाज में चढ़ने वाले	600	800
29	वाराणसी	जहाज में चढ़ने वाले	460	1360

**\*टिप्पणी:**

- i. नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा जैसे ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों ने अभी तक अपने वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किए हैं। नवी मुंबई हवाईअड्डे के लिए ऐरा ने तदर्थ टैरिफ निर्धारित किया है, जो वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) से 31.03.2026 तक या नियमित वैमानिकी टैरिफ के निर्धारण तक, जो भी पहले हो, लागू होगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए तदर्थ यूडीएफ - विमान में चढ़ने वाले यात्री के लिए 1500 रुपये और उतरने वाले यात्री के लिए 750 रुपये, घरेलू यात्रियों के लिए - विमान में चढ़ने वाले यात्री के लिए 840 रुपये और उतरने वाले यात्रियों के लिए 360 रुपये है।
- ii. हाल ही में नामित/अधिसूचित तीन प्रमुख हवाईअड्डों अर्थात् देहरादून, पोर्ट ब्लेयर और नागपुर के लिए टैरिफ निर्धारण ऐरा द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि उनकी पहली नियंत्रण अवधि अभी शुरू होनी बाकी है।

\*\*\*\*\*